समाहरणालय जमुई
(नजारत शाखा)

जमुई जिला में भाड़े पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना :-

सरकार के संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3687, दिनांक-26.04.2010 के आलोक में वरीय उप समाहर्त्ता, जमुई के लिए वाहन चालक सहित भाड़े पर लिया जाना है। इसके लिए निम्नांकित शर्त्तो के अधीन भाड़े पर चालक सहित वाहन देने हेतु इच्छूक वाहन मालिकों से मुहरबंद निविदा आमंत्रित किये जाते है।

1. वाहन का प्रकार :- सभी श्रेणी के वाहन यथा-सफारी, जायलो, स्कॉरपियो एवं सूमो विक्टा समरूप वाहन।
2. वाहन चालक सहित होगा।
3. वाहन अच्छी हालात में होनी चाहिए।
4. वाहन के रख-रखाव एवं मरम्मति पर व्यय वाहन मालिक को ही करना होगा।
5. वाहन के लिए, सिर्फ ईधन की आपूर्ति जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।
6. वाहन का वाणिज्यिक निबंधन होना आवश्यक होगा। यदि वाहन का वाणिज्यिक निबंधन न हो तो आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर वाहन का वाणिज्यिक निबंधन करा लेना अनिवार्य होगा। इससे संबंधित पूरी जिम्मेवारी तथा कर एवं अन्य शूल्क/आदेयता की जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी।
7. चालक सहित वाहन के लिए मासिक भाड़े का भुगतान जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर पर संबंधित कार्यालय द्वारा की जाएगी।
8. एकरारनामा की अवधिः-एकरानामा निष्पादन की तिथि से 11 माह के लिए होगा।
9. वाहन मालिक विहित प्रपत्र में जिसमें वाहन से संबंधित कागजात आदि संलग्न हो और वाहन मालिक एवं चालक के बारे में विवरणी तथा चालक सहित वाहन का मासिक भाड़ा अंकित हो दिनांक-15.07.2017 के अपराह्न 5:00 बजे तक जिला नजारत शाखा, जमुई में मुहरबंद लिफाफे में समर्पित कर सकते है।
10. निविदा समर्पित करने की अंतिम तिथि-18.08.2017 के पश्चात् प्राप्त होने वाले निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा दो लिफाफा पद्धति से किया जाना है।
11. भाड़े पर चालक सहित वाहन देने हेतु प्राप्त निविदा को दिनांक-18.08.2017 को 4:00 बजे अपराह्न में जिला स्तरीय क्रय समिति, जमुई के समक्ष खोला जाएगा। जिससे निविदादाता (वाहन मालिक) स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।
12. भाड़े पर चालक सहित वाहन देने हेतु भाड़े का न्यूनतम प्रस्ताव देने वाले 02 सफल (निविदादाता (वाहन मालिक) जो निविदा में शामिल किए गए शर्त्तो के अनुरूप भाड़ा पर चालक सहित वाहन देने की पात्रता रखता हो, के साथ 11 माह के लिए एकरारनामा किया जाएगा।
13. वाहन कॉमशियल होना चाहिए जिसका टैक्स, परमीट, फिटनेश अद्यतन होना चाहिए। वाहन वर्ष 2012 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
14. वाहन खराब रहने पर वाहन मालिक का दायित्व होगा कि वह तुरन्त अन्य वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो जितने दिन वाहन खराबी अथवा चालक की अनुपस्थिति के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा उतने दिनों के लिए अनुपातिक भाड़े का भुगतान नहीं किया जाएगा।
15. वाहन का उपयोग 24 धंटे जिला प्रशासन के समक्ष उपलब्ध कराना होगा।
16. सेवा संतोषजनक नहीं होने पर एकरारनामा समाप्त कर दिया जाएगा एवं पैनल में उपलब्ध वाहन मालिकों से वाहन लिया जा सकेगा।
17. निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय अस्वीकृत करने का अधिकार जिला पदाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
18. इस निविदा को वेबसाईट WWW.jamui.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

Kamal
28/7/17

डॉ0 कौशल किशोर, भा0प्र0से0
जिला पदाधिकारी, जमुई